

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 21.09.2026

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी NBW वारंट से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी एवं दबिश के दौरान माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW वारंट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW, केस संख्या 186/19, मु0अ0सं0 133/16, धारा 138 बी विद्युत अधिनियम, राज्य बनाम हरिसरन से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त हरिसरन पुत्र स्व0 रामनारायण, निवासी पूरे अली नकी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त को उसके घर पर मौजूद पाया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW वारंट से अवगत कराते हुए उसके घर से हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. हरिसरन पुत्र स्व0 रामनारायण, निवासी पूरे अली नकी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 भीमराव, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी NBW वारंट से सम्बन्धित 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश

वांछित/वारण्टी एवं ई-सम्मन पोर्टल से प्राप्त NBW वारंट के अनुपालन में 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा ई-सम्मन पोर्टल से प्राप्त माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW वारंट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सुरतलाल पुत्र माताफेर, निवासी ग्राम बेल्लहामई, थाना संग्रामगढ़, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं० 1842/2021, मु०अ०सं० 125/97, धारा 323/325/504 भादवि एवं झूमकलाल पटेल पुत्र माताफेर पटेल, निवासी ग्राम बेल्लहामई, थाना संग्रामगढ़, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं० 1842/2021, मु०अ०सं० 125/97, धारा 323/325/504 भादवि को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में रामलाल पुत्र रामचरण, निवासी ग्राम रुमतपुर (किन्धौली), थाना संग्रामगढ़, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं० 1796/2021, मु०अ०सं० 60/96, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को उसके घर से तथा रामराज पटेल पुत्र स्व० सुखदेव पटेल एवं धर्मराज पटेल पुत्र स्व० सुखदेव पटेल, निवासी ग्राम रुमतपुर (किन्धौली), थाना संग्रामगढ़, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं० 1545/2021, मु०अ०सं० 19/2000, धारा 323/325/504 भादवि को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण:

1. सुरतलाल पुत्र माताफेर, निवासी ग्राम बेल्लहामई, थाना संग्रामगढ़।
2. झूमकलाल पटेल पुत्र माताफेर पटेल, निवासी ग्राम बेल्लहामई, थाना संग्रामगढ़।
3. रामलाल पुत्र रामचरण, निवासी ग्राम रुमतपुर (किन्धौली), थाना संग्रामगढ़।
4. रामराज पटेल पुत्र स्व० सुखदेव पटेल, निवासी ग्राम रुमतपुर (किन्धौली), थाना संग्रामगढ़।
5. धर्मराज पटेल पुत्र स्व० सुखदेव पटेल, निवासी ग्राम रुमतपुर (किन्धौली), थाना संग्रामगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ०नि० मुन्ना सिंह यादव मय हमराह का० विजय कुमार राम, रि०का० आलोक कुमार तथा का० कुलदीप यादव, रि०का० अनिरुद्ध यादव, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारण्ट के अनुपालन में 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारण्ट के अनुपालन में 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

प्रथम गिरफ्तारी- मा0 न्यायालय श्रीमान एसीजे (जे0डी0) कोर्ट नं0-19, प्रतापगढ़ द्वारा क्रिमिनल केस नं0-291/2016, उ0प्र0 राज्य बनाम राजू पटेल आदि, सम्बन्धित मु0अ0सं0-85/2015, धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि एवं धारा 3(1)X एससी/एसटी एक्ट, थाना हथिगवां से सम्बन्धित गैर जमानतीय वारण्ट के अनुपालन में राजू पटेल पुत्र विजय पटेल, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम लौवा सुखदेवपुर, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 21.09.2026 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय गिरफ्तारी- मा0 न्यायालय श्रीमान एसीजे (जे0डी0) कोर्ट नं0-19, प्रतापगढ़ द्वारा स्पेशल ट्रायल नं0-800043/2006, उ0प्र0 राज्य बनाम संजय तिवारी आदि, सम्बन्धित मु0अ0सं0-347/2004, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना हथिगवां से सम्बन्धित गैर जमानतीय वारण्ट के अनुपालन में रविशंकर मिश्रा उर्फ शिवशंकर मिश्रा पुत्र सूर्यबली मिश्रा, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी ग्राम बटौआ परसीपुर, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 21.09.2026 को हथिगवां नहर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

तृतीय गिरफ्तारी- मा0 न्यायालय श्रीमान एसीजे (जे0डी0) कोर्ट नं0-23, प्रतापगढ़ द्वारा क्रिमिनल केस नं0-4653/2021, उ0प्र0 राज्य बनाम संतोष कुमार सरोज, सम्बन्धित मु0अ0सं0-50/1998, धारा 279/304-A भादवि, थाना हथिगवां से सम्बन्धित गैर जमानतीय वारण्ट के अनुपालन में संतोष कुमार सरोज पुत्र रामदेव, उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी ग्राम कौड़िहार, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज को दिनांक 20.09.2026 को लखनऊ-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर कैमा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम-

प्रथम एवं द्वितीय गिरफ्तारी – उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय का0 पवन कुमार, का0 शुभम सिंह एवं का0 दीपक यादव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

तृतीय गिरफ्तारी – उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय का0 अशेष कुमार, का0 किशन मौर्या एवं म0का0 अंजली कुशवाहा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी NBW वारंट से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित/सक्रिय अपराधी एवं NBW वारण्टी के दौरान 01 नफर NBW वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कंधई पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, कोर्ट नं0 24, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत NBW से सम्बन्धित केस नं0 1513680/2004, क्रि0 नं0 159/2004, धारा 323/325/504/506 भादवि, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त जमील पुत्र मुन्ने उर्फ खलील, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त को उसके घर पर मौजूद पाया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त:

जमील पुत्र मुन्ने उर्फ खलील, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 विनीत कुमार प्रजापति मय हमराह हे0का0 बद्री नारायण सिंह, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 64(2)(i)/64(2)(k) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त हरिकेश सिंह उर्फ गजन सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रबली सिंह, निवासी ग्राम सरवरपुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 48 वर्ष को दिनांक 21.09.2026 को लौवार नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम-

उ0नि0 कैलाश यादव, का0 हरीश दक्ष व रि0का0 सोनू वर्मा, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद जिन्दा देशी बम बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा रोकथाम जुर्म-जरायम, देखभाल क्षेत्र एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन के दौरान दिनांक 21.09.2026 को बाबा बेलखरनाथ धाम स्थित सई नदी पुल के पास से अभियुक्त सुरेश कुमार पाण्डेय पुत्र विजय कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम पूरे गुलाल, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद जिन्दा देशी बम बरामद किए गए। बरामद देशी बमों को पुलिस टीम की उपस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर के पीछे खाली भूमि में जमीन के अंदर रखकर मिट्टी से ढककर सुरक्षित किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जिसे अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 210/2026, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेश कुमार पाण्डेय पुत्र विजय कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम पूरे गुलाल, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम

01 अदद मोटरसाइकिल (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हे0का0 चन्द्रशेखर कुशवाहा, का0 नितिन एवं का0 सत्य कुमार, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारंट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट फौजदारी वाद संख्या 772/26, अ0सं0 68/16, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त शिवबक्श सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह, निवासी ग्राम पूरे नेवली रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को ग्राम पूरे नेवली स्थित उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त:

1. शिवबक्श सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह, निवासी ग्राम पूरे नेवली रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० राजेश कुमार शुक्ला मय का० रोहित पटेल, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

महेशगंज पुलिस की बड़ी सफलता- हत्या के अभियोग में वांछित ₹25,000 का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित, वारण्टी, इनामिया एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा फरार चल रहे ₹25,000 के इनामिया अभियुक्त मो० हारुन पुत्र मो० मूसा, निवासी ग्राम गुजवर, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 57 वर्ष को दिनांक 21.09.2026 को प्राथमिक विद्यालय गुजवर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ पर दिनांक 04.09.2018 को मो० जमील अहमद पुत्र मो० शफी, निवासी ग्राम गुजवर, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनके सगे भाई मो० मुन्ना की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है उक्त सूचना के आधार पर थाना महेशगंज पर मु०अ०सं० 188/2018, धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में अभियुक्त मो० हारुन पुत्र मो० मूसा, निवासी ग्राम गुजवर, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2019 को धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई। अभियुक्त के हाजिर/गिरफ्तार न होने पर उसके विरुद्ध मु०अ०सं० 293/2019, धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-मो० हारुन पुत्र मो० मूसा, निवासी ग्राम गुजवर, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 57 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 188/2018, धारा 302/34 भादवि, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

2-मु०अ०सं० 293/2019, धारा 174ए भादवि, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष राहुल कुमार गौतम, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 रामवीर सिंह, का0 लालबहादुर वर्मा, रि0का0 मनेन्द्र कुमार एवं अस्थायी चालक का0 सुमित सिंह, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/324(4)/109(1) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त हफीज पुत्र हबीब उल्ला, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम दुर्गागंज जयरामपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 21.09.2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ पर दिनांक 22.05.2026 को वादी श्री अब्बास अली पुत्र दरगाही निवासी दुर्गागंज की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 203/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। वादी के अनुसार दिनांक 21.05.2026 को पुरानी रंजिश एवं जमीन के विवाद को लेकर विपक्षीगण हफीज, हकीम, मुकीम पुत्रगण हबीब उल्ला एवं हबीब उल्ला पुत्र नूर मोहम्मद द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा बीच-बचाव करने आई वादी की पत्नी शकीला बानो को भी चोटें पहुंचाई गईं। विपक्षीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने तथा वादी का मोबाइल छीनकर तोड़ देने का आरोप है। उक्त सूचना के आधार पर थाना रानीगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हफीज पुत्र हबीब उल्ला, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम दुर्गागंज जयरामपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दुर्गेश कुमार, हे0का0 अमरनाथ यादव एवं का0 धर्मेन्द्र यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 पवन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के दौरान मा० न्यायालय कोर्ट नं0 13 प्रतापगढ़ से सम्बन्धित एनबीडब्लू क्रि केस न0 6282/24 अ0सं0 92/22 थाना लालगंज प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 01. शिवम दुबे उम्र 33 वर्ष पुत्र अशोक दुबे निवासी गण ग्राम सांगीपुर थाना लालगंज प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिवम दुबे उम्र 33 वर्ष पुत्र अशोक दुबे निवासी गण ग्राम सांगीपुर थाना लालगंज प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 पवन कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 21.09.2026

जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज में पंजीकृत अभियोग में वांछित/फरार 03 नामजद अभियुक्तों पर ₹25-₹25 हजार का पुरस्कार घोषित-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 423/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 323, 351(3), 324(4), 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित/फरार एवं नामजद अभियुक्तगण 1. कयास अहमद पुत्र इलियास अहमद, 2. अशफाक अहमद पुत्र इलियास अहमद एवं 3. मो0 शादाब पुत्र कयास अहमद, समस्त निवासी गण ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 23.08.2026 से फरार चल रहे हैं।

उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, किन्तु सार्थक प्रयासों के उपरान्त भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है तथा अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण भी नहीं किया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी के प्रयासों में जनसहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सक्षम स्तर से पूर्व में घोषित ₹10,000-₹10,000 की पुरस्कार धनराशि को बढ़ाकर तीनों अभियुक्तों पर ₹25,000-₹25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है।

पुरस्कार घोषित अभियुक्तों का विवरण-

1. कयास अहमद पुत्र इलियास अहमद, निवासी ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुरस्कार धनराशि – ₹25,000/-

2. अशफाक अहमद पुत्र इलियास अहमद, निवासी ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
पुरस्कार धनराशि – ₹25,000/-

3. मो० शादाब पुत्र कयास अहमद, निवासी ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
पुरस्कार धनराशि – ₹25,000/-

अभियुक्त कयास अहमद का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 351/1992, धारा 147, 148, 149, 307, 506 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं० 80/1993, धारा 323, 504, 506, 307 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु०अ०सं० 96/1993, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु०अ०सं० 144/1996, धारा 504, 506, 307 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु०अ०सं० 171/1996, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु०अ०सं० 170/2002, धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु०अ०सं० 178/2002, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु०अ०सं० 04/2005, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त अशफाक अहमद का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 351/1992, धारा 147, 148, 149, 307, 506 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं० 80/1993, धारा 323, 504, 506, 307 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु०अ०सं० 96/1993, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु०अ०सं० 144/1996, धारा 504, 506, 307 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु०अ०सं० 171/1996, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु०अ०सं० 170/2002, धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु०अ०सं० 178/2002, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु०अ०सं० 04/2005, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु०अ०सं० 85/2009, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु०अ०सं० 110/2009, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु०अ०सं० 358/2010, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त मो० शादाब का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 423/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 323, 351(3), 324(4), 109(1) बीएनएस, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस द्वारा तीनों पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संभावित स्थानों पर दबिश एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।